

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ठाकरी
मू.अ.नि. धनेरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा नायक
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पंचायत अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसंगम में ग्राम आंजवा तहसील रेलमारा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 180 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आंजवा	180	चन्दी पत्नी डीपनाल 1/12 श्रील, M.A. & B. धनेरिया	चन्दी पत्नी डीपनाल 1/12 श्रील, M.A. & B. R. & B धनेरिया

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 16/10/25

क्रमांक - 371

तिलिपि -

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर